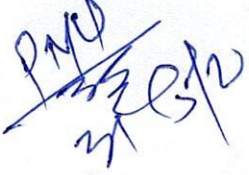


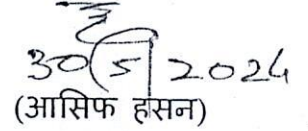
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

राँची, दिनांक. - 30-05-2024

संख्या-08/शक्ति प्र0-14/2024 का0-.....3654..... जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-176 /का०को० दिनांक 21.05.2024 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किये गये अनुबद्ध अनुसूची में उल्लेखित कुल- 2232 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को संगत अधिसूचना communicate किये जाने की तिथि से लोकसभा आम चुनाव, 2024 सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये दंड प्रक्रिया संहिता-1973, (एक्ट-II, 1974) की धारा-21 के तहत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से




30/5/2024
(आसिफ हसन)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक- 08/शक्ति प्र0-14/2024 का0 - 3654

/ राँची, दिनांक. - 30-05-2024

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई0- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई0-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

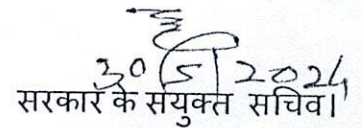

30/5/2024
सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक- 08/शक्ति प्र0-14/2024 का0. 3654

/ राँची, दिनांक. - 30-05-2024

प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-176 /का०को० दिनांक 21.05.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि वे अपने स्तर से सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को इसकी सूचना प्रेषित करें।


30/5/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।